कार्यालय केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय, आजमगढ़

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय आजमगढ की भूमि पर स्थित निम्नलिखित पेडों की नीलामी माननीय जनपद न्यायाधीश माहोदय द्वारा गठित नीलामी समिति की उपस्थिति एवं निर्देशन मे दिनांक 03.12.2020 को अप0 1.30 बजे से जनपद न्यायालय आजमगढ के नवीन भवन के "हाल ऑफ जस्टिस" में सम्पन्न किया जायेगा।

इच्छुक व्यक्ति नियत तिथि एवं स्थान पर नीलामी में भाग लेने हेतु उपस्थित हों।

नीलाम होने वाले पेडों का विवरणः–

कम सं0	प्रजाति व दशा	व्यास श्रेणी	संख्या	दर	धनराशि
1	पाकड(हरा,खडा,काबिल)	70 से ऊपर	1	6600.00	6600.00
2	चिलबिल (हरा,खडा,काबिल)	70 से ऊपर	1	6600.00	6600.00
3	कट सागौन (हरा,खडा,काबिल)	50–60	1	3300.00	3300.00
4	सेमल (हरा,खडा,काबिल)	30–40	1	1100.00	1100.00
5	सेमल (हरा,खडा,काबिल)	70 से ऊपर	1	6600.00	6600.00
		योग	5		**24,200.00**

नीलामी की शर्ते

1. नीलामी मे भाग लेने वाले व्यक्ति कुल धनराशि का 10 प्रतिशत जरिए टेण्डर जमानत राशि के रूप मे जमा करने के पश्चात ही नीलामी मे भाग ले सकते है। जमानत धनराशि बाद नीलामी वापस की जायेगी।
2. नीलामी प्राप्तकर्ता व्यक्ति को पेड काटने के पश्चात् उससे सम्बन्धित सभी अवशिष्ठ हटाना होगा अन्यथा की स्थिति मे जमा की गयी जमानत धनराशि से अवशिष्ठ हटाने का कार्य करा लिया जायेगा।
3. सबसे ऊँची बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में नीलामी स्वीकृत की जायेगी।
4. नीलामी प्राप्तकर्ता व्यक्ति को नीलामी की पूर्ण धनराशि तत्काल जमा करना अनिवार्य है।
5. नीलामी प्राप्तकर्ता व्यक्ति को तीन दिन के अन्दर उपरोक्त पेड काटकर हटा लेना होगा।
6. नीलामी प्राप्तकर्ता व्यक्ति को वन विभाग से आवश्यक परमिट स्वयं प्राप्त करना होगा।
7. पेड काटने मे यदि न्यायालय भवन की कोई क्षति होती है तो उसकी मरम्मत नीलामी प्राप्तकर्ता व्यक्ति को तत्काल कराना होगा। यदि नीलामी प्राप्तकर्ता व्यक्ति ऐसा करने मे असफल रहता है तो उसको कटे पेड ले जाने से रोका जा सकता है।

दिनांकः नवम्बर,2020।

(रविश कुमार अत्री)
प्रभारी अधिकारी नजारत /
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट)
आजमगढ़।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित :–

1– नाजिर, कलेक्ट्रेट आजमगढ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
2– कार्यालय अधीक्षक नगर पालिका परिषद आजमगढ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3–कार्यालय अधीक्षक पुलिस अधीक्षक आजमगढ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4–कार्यालय अधीक्षक मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5– स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ हेतु ।
6– जिला सूचना अधिकारी आजमगढ को सभी समाचार पत्रों में प्रकाशन कराने हेतु।
7– जनपद न्यायालय आजमगढ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
8– जनपद न्यायालय आजमगढ की बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सिस्टम आफिसर को प्रेषित ।
9– माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ओ0एस0डी0 कम्प्यूटर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को ।
10कार्यालय प्रभागीय निदेशक, समाजिक वानिकी प्रभाग आजमगढ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

दिनांकः नवम्बर,2020।

26/11/2020

(रविश कुमार अत्री)
प्रभारी अधिकारी नजारत /
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट)
आजमगढ़।

Scanned with CamScanner